न्यायालय,समाहर्त्ता,अररिया

अधिहरण वाद संख्या-390/2020

अदर धारा-58 बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016

सरकार

बनाम

(1) बेचन कुमार, पिता-शत्रुधन मेहता
सा0-बनैली पट्टी, वार्ड नं0-08, बोराहा, जिला-सुपौल
(2) पिन्टु सदा, सा0-बनैली पट्टी (चिलम चौक के पास)
(3) सरवन कुमार मेहता, सा0-बनैली पट्टी, जिला-सुपौल
(4) बिष्णु कुमार यादव, सा0-बनैली पट्टी (यादव टोला), जिला-सुपौल
(5) धर्मलाल मेहता, सा0-वार्ड नं0-08, बोराहा, जिला-सुपौल
(6) बीरेन्द्र मेहता, सा0-वार्ड नं0-05, बोराहा, जिला-सुपौल
(7) साईकिल मालिक ....विपक्षीगण

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी (तारीख सहित)
08.04.2021		

इस वाद की कार्यवाही पुलिस अधीक्षक, अररिया के प्रस्ताव/प्रतिवेदन (पत्रांक-534/हि0शा0,दिनांक-01.03.2020) के आलोक में नरपतगंज(बसमतिया) थाना कांड संख्या-65/2020, दिनांक-07.02.2020, धारा-30(क) बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 में जब्त दो पुरानी साईकिल को बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा-58 के अंतर्गत राजसात करने हेतु प्रारम्भ की गई। विपक्षियों को कारण-पृच्छा जवाब दाखिल करने हेतु सूचना निर्गत की गई। विपक्षी वाहन मालिक को हर्जाना मो0 50 रू0 अधिरोपित करते हुए अंतिम मौका भी दिया जा चुका है। बावजूद विपक्षी की ओर से कोई समुचित पैरवी नहीं है। स्पष्ट है कि विपक्षी को इस वाद में कोई रूचि नहीं है।

(2) विपक्षी की अनुपस्थिति में सरकार की ओर से उपस्थित विद्वान विशेष लोक अभियोजक, उत्पाद अधिनियम, अररिया श्री रामानंद मंडल को सुना। पुलिस अधीक्षक, अररिया से प्राप्त प्रस्ताव/प्रतिवेदन (पत्रांक-534/हि0शा0, दिनांक-01.03.2020) तथा संलग्न अन्य कागजातों का अवलोकन किया।

(3) सरकार की ओर से उपस्थित विद्वान विशेष लोक अभियोजक, उत्पाद अधिनियम, अररिया का मुख्य कथन है कि सहायक उप निरीक्षक, कृष्णपदा रॉय, 'डी' समवाय, 56 वीं वाहिनी, सशस्त्र सीमा बल, बेला दिनांक 06.02.2020 को समय रात लगभग 21.15 बजे नाका पार्टी के साथ नाका के लिए सीमा स्तम्भ संख्या-196/2(WP-49) के पास रवाना हुए। सीमा स्तम्भ के पास सीमा से लगभग 150 मीटर अन्दर भारत की तरफ लगभग सुबह 04.00 बजे दो साईकिलों पर सामान लदे पगडंडी वाले रास्ते में कुछ लोग आते हुए नजर आये। नाका पार्टी को देखकर साईकिल सवार साईकिल एवं सामान छोड़कर भागने लगा। जवानों ने खदेड़कर एक युवक (विपक्षी सं0-01) को पकड़ लिया। अन्य अंधेरे का फायदा उठाकर नेपाल भागने में सफल रहा। वहाँ कोई भी ग्रामीण न होने के कारण अपने ही बल कर्मियों को गवाह के रूप में उनके समक्ष सामान को खोला गया एवं जाँच की गई। जाँच में नेपाल निर्मित मदिरा दिलवाले 1140 बोतल प्रति बोतल 300 मिली लीटर कुल-342 लीटर बरामद हुआ। बरामद नेपाली शराब एवं दोनों साईकिल को विधिवत् जब्ती सूची तैयार

अधिहरण वाद संख्या-390/2020

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी (तारीख सहित)

08.04.2021 कर जब्त किया गया। विपक्षियों के विरुद्ध नरपतगंज(बसमतिया) थाना कांड संख्या- 65/2020, दिनांक-07.02.2020, धारा-30(क) बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 दर्ज किया गया। जब्त साईकिल का उपयोग भारी मात्रा में अवैध शराब को ढोने में किया गया है। उनकी प्रार्थना है कि जब्त दो पुरानी साईकिल को राजसात किया जाय।

(4) विद्वान विशेष लोक अभियोजक, उत्पाद अधिनियम, अररिया के कथनों एवं तर्कों पर सम्यक् विचार तथा पुलिस अधीक्षक, अररिया से प्राप्त प्रस्ताव/प्रतिवेदन (पत्रांक-534/डि0शा0, दिनांक-01.03.2020) तथा संलग्न अन्य कागजातों के अवलोकन से इस न्यायालय को यह समाधान हो गया है कि नरपतगंज(बसमतिया) थाना कांड संख्या-65/2020, दिनांक-07.02.2020, धारा-30(क) बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 में बरामद शराब एवं दो साईकिल को विधिवत् जब्ती सूची बनाकर जब्त किया गया है। जब्त पुरानी दो साईकिल का उपयोग कुल-342 लीटर नेपाल निर्मित मदिरा दिलवाले शराब को व्यावसायिक उद्देश्य से ढोने में किया गया है। जब्त पुरानी दो साईकिल का कोई दावेदार नहीं है। जब्त दो पुरानी साईकिल को विमुक्त किये जाने का कोई औचित्य नहीं है। बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद (संशोधन) अधिनियम, 2018 की धारा-56(ख) के अंतर्गत जब्त दो पुरानी साईकिल राजसात होने योग्य है। नरपतगंज (बसमतिया) थाना कांड संख्या-65/20,दिनांक-07.02.2020, धारा-30(क) बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम,2016 में **जब्त दो पुरानी साईकिल को बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा-58(2) के अंतर्गत राजसात (Confiscate) किया जाता है।** अधीक्षक मद्यनिषेध, अररिया को निदेश दिया जाता है कि बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 (यथासंशोधित अधिनियम, 2018) के सुसंगत प्रावधानों के अनुरूप अग्रेत्तर कार्रवाई सुनिश्चित करें। आदेश की प्रति अनुपालन हेतु अधीक्षक मद्यनिषेध, अररिया तथा पुलिस अधीक्षक, अररिया को प्रेषित करें।

विपक्षी (साईकिल मालिक) यदि चाहें तो उक्त आदेश के विरूद्ध बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा-92(2) के अंतर्गत उत्पाद आयुक्त, बिहार, पटना के न्यायालय में पारित आदेश के 90 दिनों के भीतर अपील दाखिल कर सकते हैं।

उक्त आदेश/निदेश के साथ इस वाद को निष्पादित किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

समाहर्त्ता, अररिया

08/04

समाहर्त्ता, अररिया

ज्ञापांक 1175 /विधि. अररिया, दिनांक 22.4.2021

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अधीक्षक मद्यनिषेध, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : विशेष लोक अभियोजक, उत्पाद अधिनियम, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, अररिया को जिला के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

08/04

समाहर्त्ता, अररिया

न्यायालय, जिलाधिकारी एवं समाहर्त्ता, अररिया (बिहार)